-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में थाना पैलानी क्षेत्र के राजकीय हाईस्कूल सबादा में जागरुकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन।**

❖ **क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से संवाद कर उनकी सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, साइबर अपराधों व यातायात नियमों आदि के बारें में जानकारी देकर किया गया जागरुक।**

विवरण- महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 17.11.2025 को थाना पैलानी क्षेत्र के राजकीय हाईस्कूल ग्राम सबादा में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर द्वारा बालिकाओं/छात्राओं को शासन की विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नम्बरों, यातायात नियमों आदि के बारे में जानकारी दी गई एवं उनकी उनकी सुरक्षा के विभिन्न संवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों जैसे- लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न आदि के साथ-साथ विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वीमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, चाइल्ड केयर लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930, महिला हेल्पलाइन 181 आदि के बारे में पम्प्लेट वितरित कर जानकारी दी गई और उनकी सुरक्षा एंव सशक्तीकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस दौरान साइबर अपराधों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई जिसमें वर्तमान में नवीनतम तरिके से होने वाले साइबर अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें- **केवाईसी अपडेट**, **ओटीपी फ्रॉड**, **यूपीआई स्कैम (UPI Scam)**, **सोशल मीडिया हैकिंग**, **फर्जी कॉल्स**, आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी दी गई और लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साइबर अपराध/ठगी का शिकार होने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) या साइबर हेल्पलाइन नम्बर कॉल कर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई। इस दौरान यातायात नियमों के बारे मे जानकारी देते बताया गया कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का न करने तथा नशे की हालत में ड्राइविंग न करने, वाहन के वैध और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रुप से करें साथ ही अन्य लोगों को जागरुक करें। इसके अतिरिक्त दो पहिया वाहन चलाते समय दो से अधिक लोगो बैठने/बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने के खतरों आदि के बारे में जानकारी दी गई।